न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व प्रार्थना पत्र टीआई संख्या / 105 / 2012

1. निर्मल कुमार पुत्र श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी ए 48ए, शिवाजी मार्ग, नेहरू नगर, पानीपेच जयपुर।
2. जगदीश पुत्र श्री मंगलराम (दौराने वाद फौत)
   2/1 कमला देवी पत्नि स्वर्गीय जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी ए 48ए, शिवाजी मार्ग, नेहरू नगर, पानीपेच जयपुर। (दौराने वाद फौत)

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायणसहाय पुत्र श्री जगदीश (दौराने वाद फौत)
   1/1. जितेन्द्र चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. नारायणसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ए–48–ए, शिवाजी मार्ग नेहरू नगर, पानीपेच जयपुर जिला जयपुर। 302016
   1/2. चन्द्रमोहन शर्मा पुत्र स्व. नारायणसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ए–48–ए, शिवाजी मार्ग नेहरू नगर, पानीपेच जयपुर जिला जयपुर। 302016
   1/3. चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र स्व. नारायणसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ए–48–ए, शिवाजी मार्ग नेहरू नगर, पानीपेच जयपुर जिला जयपुर। 302016
   1/4. श्रीमती रमा शर्मा पुत्री स्व. नारायणसहाय पत्नी अमितकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 104, बंधुनगर, मुरलीपुरा जयपुर जिला जयपुर।
   1/5. श्रीमती श्यामा शर्मा पुत्री स्व. नारायणसहाय पत्नी निखील शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 159, हीरापथ, वी.टी. रोड, मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर।
2. मधुसुदन पुत्र श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी ए 48ए, शिवाजी मार्ग, नेहरू नगर, पानीपेच जयपुर।
3. गयत्री देवी धर्मपत्नि श्री बृजमोहन पुत्री श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नंबर 44, गांधी विहार सांगानेर एअरपोर्ट के पास, जयपुर।
4. श्रजनी धर्मपत्नि श्री मोहनलाल निराला पुत्री श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट संख्या 111त्र आनन्दपुरी मोती डूंगरी जयपुर।
5. स्रोज धर्मपत्नि श्री प्रहलाद पुत्री श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नंबर 522, सेक्टर संख्या 3, विधाधर नगर, जयपुर।
6. कुंजबिहारी पुत्र श्री सुवालाल निवासी मकान नंबर ए–23 भगत वाटिका के पीछे मदरामपुरा सिविल लाईन जयपुर।
7. मन्ना पत्नि श्री पुरूषोतम पुत्री सुवालाल (दौराने वाद फौत)
   7/1. बालमुकुन्द शर्मा पुत्र पुरूषोतम जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर 16, कृष्णाविहार, सेवायतन [illegible] जयपुर जिला जयपुर।
   7/2. माया शर्मा पुत्री पुरूषोतम पत्नि [illegible] शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी [illegible] नगर, 200 फिट बाईपास अजमेर रोड़ जयपुर।
   7/3. सुनिता शर्मा पुत्री पुरूषोतम पत्नि रामजी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ढहर का बालाजी, मंदिर के पीछे, विधाधर नगर, जयपुर।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

8. शान्ति पत्नि मदन पुत्री सुवालाल निवासी ग्राम बिचुन तहसील फागी, जिला जयपुर।

9. सूरज धर्मपत्नि राधेश्याम पुत्री सुवालाल (दौराने वाद फौत)

9/1. सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण प्लाट नंबर 1203, रानीसती नगर किंग्य रोड, अजमेर रोड़, जयपुर

9/2. श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नंबर 160, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, जयपुर।

9/3. गोपाल शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मौजमाबाद तहसील के सामने चारभुजानाथ का मन्दिर तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

9/4 श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री श्री राधेश्याम शर्मा धर्मपत्नि श्री भगवान सहाय शर्मा (दौराने वाद फौत)

9/4/1. भगवान सहाय पुत्र हनुमान सहाय जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नंबर 6, गणेश नगर, चार नम्बर डिपेंसरी के पास, सोढाला, तहसील व जिला जयपुर।

9/4/2. कल्पना पुत्री भगवान सहाय जाति ब्राह्मण निवासी ई–123, बैंक कॉलोनी मुरलीपुरा, तहसील व जिला जयपुर।

9/5. राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय श्री श्रवणलाल (नाम हजफ)

10. गुलाब पत्नि रामस्वरूप (नाम हजफ)

11. रमेश पुत्र रामस्वरूप निवासी प्लाट नंबर 68 सीता विहार दादी का फाटक, बेनाड़ रोड़ जयपुर।

12. दिनेश पुत्र रामस्वरूप निवासी प्लाट नंबर 2524 लोठो का चौक गोविन्दरामजी का रास्ता, कान महाजन का बड़, जयपुर।

13. विरश पुत्र रामस्वरूप निवासी प्लाट नंबर 2524 लोठो का चौक गोविन्दरामजी का रास्ता, कान महाजन का बड़, जयपुर।

14. मुकेश पुत्र रामस्वरूप निवासी प्लाट नंबर 2524 लोठो का चौक गोविन्दरामजी का रास्ता, कान महाजन का बड़, जयपुर।

15. संतोष धर्मपत्नि रामकिशन पुत्री रामस्वरूप निवासी ग्राम याढलीपुरा पुलिस थाना शिवदासपुरा तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

16. मिराबाई पत्नि अरूण शर्मा पुत्री रामस्वरूप निवासी प्लाट नंबर 91ए तनेजा ब्लॉक आदर्श नगर जयपुर।

17. चांदबाई उर्फ चन्द्रकांता पत्नि लादूराम पुत्री रामस्वरूप निवासी मकान नंबर 117/186 थड़ी मार्केट, आकाशदीप स्कूल के पास अग्रवाल फार्म जयपुर।

18. रविकांत पुत्र महेश निवासी प्लाट नंबर 01 वेंकटश्वर कॉलोनी सोडाला, जयपुर।

19. श्रीकांत पुत्र महेश निवासी प्लाट नंबर 01 वेंकटश्वर कॉलोनी सोडाला, जयपुर।

20. विजयलक्ष्मी पुत्री महेश निवासी प्लाट नंबर 01 वेंकटश्वर कॉलोनी सोडाला, जयपुर।

21. कृष्णादेवी पत्नि महेश निवासी प्लाट नंबर 01 वेंकटश्वर कॉलोनी सोडाला, जयपुर।

22. विश्वनाथ पुत्र बंशीधर निवासी ग्राम मौरीजा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

23. गोपीनाथ पुत्र बंशीधर निवासी ग्राम मौरीजा तहसील चौमू, जिला जयपुर।

24. नरोत्तम पुत्र बंशीधर निवासी ग्राम मौरीजा तहसील चौमू, जिला जयपुर।

25. लोकनाथ पुत्र बंशीधर निवासी ग्राम मौरीजा तहसील चौमू, जिला जयपुर।

26. कमला धर्मपत्नि मदनलाल पुत्री बंशीधर निवासी ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
... द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

27. विमला देवी पत्नि सत्यनारायण पुत्री बंशीधर निवासी ग्राम बांसा तहसील चौमू, जिला जयपुर।
28. आशा धर्मपत्नि शम्भूदयाल पुत्री बंशीधर निवासी ग्राम बांसा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
29. सन्तोष धर्मपत्नि सुभाष पूत्री बंशधर (दौराने वाद फौत)
    29/1. सुभाष चन्द शर्मा पुत्र विजयलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बांसा, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
    29/2. अमित कुमार शर्मा पुत्र सुभाष चन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बांसा, तहसील चौमू जिला जयपुर।
    29/3 सुमित कुमार शर्मा पुत्र सुभाष चन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बांसा, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
    29/4 आशीष कुमार शर्मा पुत्र सुभाष चन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बांसा तहसील चौंमू जिला जयपुर।
    29/5 अंकित कुमार शर्मा पुत्र सुभाष चन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बांसा, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
30. सुनील पुत्र पुरूषोतम निवासी ग्राम मौरीजा तहसील चौंमू, जिला जयपुर।
31. सम्पत पुत्र पुरूषोतम निवासी ग्राम मौरीजा तहसील चौंमू जिला जयपुर।
32. सुमित्रा देवी पत्नि पुरूषोतम निवासी ग्राम मौरीजा तहसील चौंमू, जिला जयपुर।
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
34. उप पंजीयक कार्यालय द्वितीय सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
35. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जरिये सचिव पता जे0एल0एन0 मार्ग जयपुर।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपिठत धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय दिनांकः 14.11.2022

प्रार्थीगण की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 32 की हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति आराजीयात जिसके गत खसरा नंबर 33 एवं 34 एवं 34/276 है। जिसके हाल खसरा नंबर 122 रकबा 0.61 है0, खसरा नंबर 123 रकबा 0.37 है0, खसरा नंबर 124 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 125 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 126 रकबा 0.39 है0, खसरा नंबर 127 रकबा 0.46 है0, खसरा नंबर 128 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 129 रकबा 0.39 है0, खसरा नंबर 130 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 131 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 132 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 133 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 134 रकबा 0.39 है0, खसरा नंबर 135 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 135/743 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 136 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 137 रकबा 0.24 है0, कुल किता 17 कुल रकबा 5.68 हैक्टेयर जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम झाई पटवार हल्का भम्भोरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर पर अवस्थित है। जिसपर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 32 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर बिना किसी बाधा एवं अवरोध के उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 32 के हक पूर्वाधिकारी श्री मंगलराम का सजरा निम्न प्रकार से है :–

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

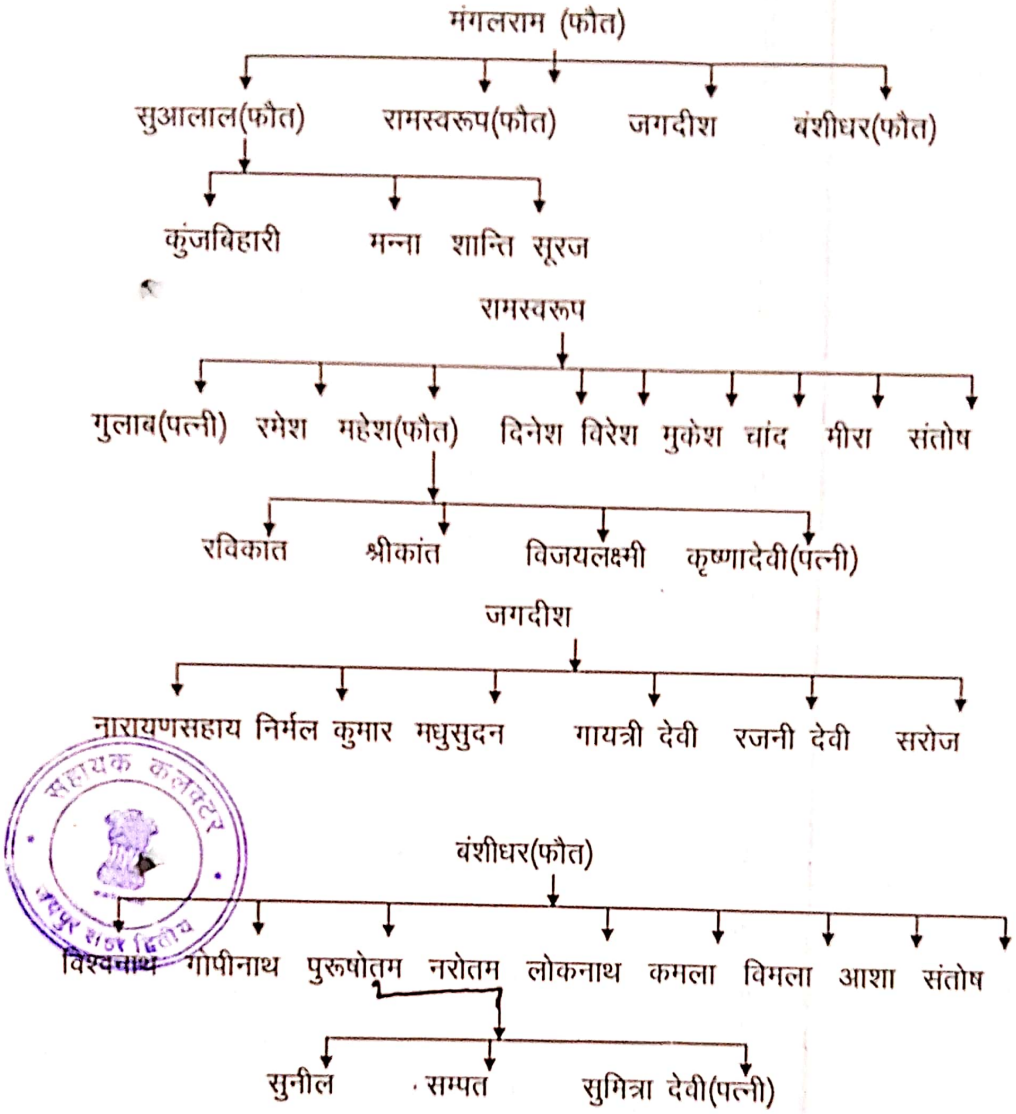

वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 के पिता प्रार्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा नियत है एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 32 के हक का हिस्सा सजरा खानदान के अनुसार नियत है और प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर मनबट के आधार पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। सम्वत् 2008 की खसरा गिरदावरी में खसरा नंबर 34 के कॉलम सं. 7 में काश्तकार का नाम श्री [illegible] श्री हरदेवराम कौम ब्राह्मण अंकित किया गया है इससे स्पष्ट होता है कि [illegible] नं. 34 की कृषि भूमि पर श्री मंगलराम पुत्र श्री हरदेव राम काबिज [illegible] उपयोग उपभोग कर रहे थे। इसी प्रकार संवत् 2008 की खसरा गि[illegible]री में खसरा नं. 33 के कॉलम संख्या 7 में काश्तकार का नाम मकबूजा ठिकाना अंकित किया गया है परन्तु उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर 33 की कृषि भूमि पर श्री मंगलराम पुत्र श्री हरदेव राम काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। परन्तु सरकारी कारकुनानो एवं कर्मचारियों ने अप्रार्थी सं. 6 के पिता से मिलीभगत कर संवत् 2015 की जमाबंदी में अपना नाम दर्ज करवा दिया। जबकि खसरा नंबर 33 एवं 34 एवं 34/276 की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 के पिता जो कि प्रार्थी संख्या 1 है तथा अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 9 के पिता श्री श्री मंगलराम के साथ काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे थे और आज भी श्री मंगलराम के समस्त उत्तराधिकारी विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है। सरकारी कारकुनानों एवं कर्मचारियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था, कि श्री मंगलराम के जीवनकाल में ही अप्रार्थी सं. 6 लगायत 9 के पिता श्री सुआलाल का नाम अंकित कर दे परन्तु श्री सुआलाल एवं सरकारी कारकुनानो ने आपसी मिलीभगत कर केवल अपना नाम अंकति करवा दिया जो गलत है। और प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के अधिकारो तक प्रभावहीन एवं शून्य है जबकि सरकारी कारकुनानो एवं कर्मचारियो को सुआलाल के साथ साथ संवत् 2015 की जमाबंदी में प्रार्थी सं. 1 एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 के पिता जो कि प्रार्थी सं. 2 एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 के पिता का नाम एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 32 के पिता एवं हक पूर्वाधिकारी का नाम भी अंकित किया जाना चाहिए था। परन्तु सुआलाल श्री मंगलराम का सबसे बडा पुत्र होने का गलत फायदा उठाकर अपना नाम अंकित करवा दिया जो गलत हैं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने अप्रार्थी संख्या 6 से कई बार निवेदन किया कि आप के पिता के नाम से वादग्रस्त भूमि गलत रूप से अंकित कर दी गई है जिसका आपसी बंटवारा कर अपना अपना खाता अलग खुलवा लेवे तो अप्रार्थी संख्या 6 हमेशा यह विश्वास देता रहा कि आपके कब्जे एवं काश्त में मैं किसी प्रकार की बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नही कर रहा हूँ और जब भी समय मिलेगा हम सभी तहसील में चलकर बंटवारा कर लेगे और सभी का अलग अलग खाता भी खुलवा लेगे। दिनांक 10.04.2012 को वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 6 एवं चार पांच अन्य व्यक्ति आये और जिनसे वादी ने पूछा कि आप यहॉ पर कैसे आये तो अप्रार्थी संख्या 6 ने कहा कि विवादग्रस्त भूमि तो मेरे नाम से ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है और परिवार के किसी भी सदस्य का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। इसलिए में इस विवादग्रस्त कृषि भूमि को इस चार पांच व्यक्तियों को बेचने के लिए दिखाने आया हूँ। इस पर प्रार्थीगण दिनांक 12.05.2012 को पटवारी हल्का से पूछताछ की तो पटवारी हल्का ने बताया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि तो अप्रार्थी संख्या 6 के नाम से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके पश्चात् प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड के कार्यालय में जाकर विवादग्रस्त कृषि भूमि के जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रार्थीगण को दिनांक 09.06.2012 को प्राप्त हुई उसको देखा तो एक मात्र अप्रार्थी सं. 6 का नाम दर्ज था और श्री मंगलचंद के किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराधिकारी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही था। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को दिनांक 10.05.2012 से लगातार विक्रय किये जाने की धमकी एवं जबरन बेदखल करने की धमकी दी जा रही है इसलिए प्रार्थीगण अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 6 लगायत 32 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर उन्हें भूमि विक्रय करने अथवा मनबट के आधार पर भूमि जो मौके पर विभाजित है में किसी प्रकार की दखलंदाजी से रोका जाना आवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से कोई दखलअंदाजी नही करे ना ही मजाहमत मदाखलत करे तथा उसपर निर्माण कार्य नही करे, तथा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को विक्रय, बख्शीश, हस्तांतरण, इकरारनामा मुख्तयारनामा आदि नही करे, ऐसा ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करे, ना ही अपने एजेंट, सर्वेन्ट, नोकर चाकर, परिवारजन, रिश्तेदार आदि से ही करावे ना ही प्रेरित करे। तथा अप्रार्थी सं. 33 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो उपरोक्त आराजीयात का नामांतरकरण किसी अन्य व्यक्ति के नाम नही खोले, तथा अप्रार्थी संख्या 34 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो उक्त खसरा नंबरान् की भूमि का पंजीयन नही करे, तथा अप्रार्थी संख्या 35 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त खसरा नंबरान् का रूपांतरण नही करे, तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब टीआई पेश किया गया जिसमें अंकित है कि : वादग्रस्त भूमि कभी भी संयुक्त खातेदारी की पैतृक सम्पत्ति नही रही और न ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 10 लगायत 32 का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा रहा है और न वर्तमान में है। वादग्रस्त भूमि सुअवालाल जी की स्वअर्जित भूमि है जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी व कब्जे में अंकित है और राजस्व रिकॉर्ड में इसी प्रकार का इन्द्राज अंकित है। प्रार्थी ने जानबूझकर मंगलराम की मृत्यु की दिनांक उल्लेखित नही की है। मंगलराम के एक पुत्री मूली देवी भी थी, जिसका भी उसने जानबूझकर उल्लेख नही किया है। रामस्वरूप मृतक की पत्नी गुलाब देवी मौजूद है उसको [illegible] नही दर्शाया है। जहॉं तक सम्वत् 2008 की खसरा गिरदावरी में [illegible] का नाम अंकित होने का प्रश्न है, मंगलराम जी जागीरदार के यहां [illegible] का काम करते थे और उसके सभी काश्त की जमीनों का लेखा जोखा रखने का [illegible] करते थे इसलिए यदि सहवन से मंगलराम जी का नाम अंकित हो जाने के आधार पर यह अभिप्राय नही निकाला जा

Signature Not Verified Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal Date: 2023.01.05 16:26:30 IST Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

सकता कि वे भूमि के काश्तकार थे, इसके पश्चात् एवं इससे पूर्व आज तक भूमि मंगराम जी का नाम बतौर काश्तकार किसी भी गिरदावरी में अंकित एवं किसी भी खसरा नंबर में अंकित नही है। यहां यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि मंगलराम जी की मृत्यु सन् 1963 में हुई है जहॉं तक उत्तरदाता/अप्रार्थी सं. 6 के पिता का नाम अंकित होने का प्रश्न है, राजस्व रिकॉर्ड में उक्त नाम सही अंकित हुआ है। वादग्रस्त भूमि का उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 6 के अलावा अन्य किसी का प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है और न पहले रहा है। उत्तरदाता से पूर्व उनके पिता सुवालाल जी भूमि पर काबिज थे। वादग्रस्त भूमि जागीर की भूमि थी और जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के अनुसार जागीर पुर्नग्रहण के समय से भूमि की काश्त करते थे। कानूनन उन्ही के नाम खातेदारी में अंकित होने का प्रावधान है। वादग्रस्त भूमि पर ग्राम झांई की जागीर के पुर्नग्रहण के समय सुवालाल पुत्र मंगलराम वादग्रस्त भूमि पर बतौर काश्तकार काबिज थे इसलिए पुर्नग्रहण के बाद उनके नाम खातेदारी सही और कानू सम्मत अंकित हुई है। मंगलराम जी के अन्य तीनों पुत्र रामस्वरूप, जगदीश व बंशीधर वर्ष 1951 के पूर्व से ही सरकारी नौकारी में थे और जयपुर निवास करते लग गये थे उन्होंने अपने परिवार विभाजित कर पृथक से अपना जीवन यापन करना आरम्भ कर दिया था। इस प्रकार उनका वादग्रस्त भूमि से कोई कब्जा काश्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है और नही वें सन् 1951 के बाद कभी भी संयुक्त परिवार के रूप में रहे है। दिनांक 10.05.2012 को मिन उत्तरदाता 4–5 व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त भूमि पर गया ही नही और न ही प्रार्थीगण से कोई बातचीत कर धमकी देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये इकरारनामा मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति को सन् 1998 में ही हस्तान्तरित कर दी है जिस पर उसकी आवासीय कॉलोनी विकसित हो चुकी है, वादग्रस्त भूमि पर समिति के सदस्यों के मकानात आदि बने हुये है। यह बात प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 एवं 10 लगायत 32 की पूर्ण जानकारी में है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की कोई सम्भावना नही है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की हानि होने की कोई सम्भावना नही है। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही पाया जाता है। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का सुविधा का संतुलन भी साबित नही है। जवाब कि विशेष विवरण में अंकित है कि वादग्रस्त भूमि सुवालाल जी की खातेदारी [illegible] उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 34 में पक्का [illegible] पर उनका बिजली कनेक्शन लगा हुआ है, साथ ही वादग्रस्त भूमि पर उनके आ[illegible] मकानात और बाडा बना हुआ है जो उन्होंनें तहसीलदार सांगानेर से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर सन् 1981 में बनाया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी काबिज है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नही है और न ही इसका उपयोग कृषि कार्य में हो रहा है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त भूमि पूर्णरूप से आवासीय रूप में विकसित हो चुकी है इस प्रकार वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार में नही है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चो खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 12, 13 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। व जवाब टीआई प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 12, 13 ने अपने जवाब में अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब टीआई का दोहरान किया।

अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2, 3, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 30, 31, 32 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। उक्त को जवाब टीआई हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब टीआई पेश नही करने पर जवाब टीआई का अवसर बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत् घोषणा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। मूलवाद में प्रार्थीगण अपने अधिकारो की घोषणा करा पाने के अधिकारी है अथवा नही यह मूलवाद में निस्तारित किये जाने वाला बिन्दू है। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। प्रस्तुत रिकॉर्ड पर्चा लगान भू–प्रबंध (सैटलमेन्ट) विभाग संवत् 2016 से 2034 साविक खसरा नंबर 33 एवं 34 एवं 34/276 में भोक्ता कॉलम में सौभाग्यमल पिता चिमनलाल व हरिशचन्द पिता मालोलाल व कृषक कॉलम में सुवालाल पिता मंगलराम कौम ब्राहमन दर्ज है। उक्त साबिक खसरा नंबर से हाल खसरा नंबर 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135/743, 136, 137 बनाये गये है। हाल खसरा नंबर के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2065–2068 में कुंजबिहारी पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित दस्तावेजात से यह जाहिर है कि वादग्रस्त आराजियात पर साबिक रिकॉर्ड से ही कब्जा–काश्त अप्रार्थी संख्या 6 के पूर्वज का रहा है। हाल रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 6 रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के [illegible] ब[illegible] प्रतीत नहीं होता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वादग्रस्त आराजी पर कब्ज[illegible] रिकॉर्ड दोनो ही अप्रार्थी के पक्ष में होने से इस स्तर पर तु[illegible] अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण की न होकर अप्रार्थी की होना सम्भावित है, यदि रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थी को अस्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

निषेधाज्ञा आदेश से पाबन्द किया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.11.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner